

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 353

प्रकरण क्रमांक –SM-URP-2025-02981

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध प्रमोटर-सुनीता डेव्हलपर्स, द्वारा-श्री राकेश गुप्ता, पता-  
राजकुमार कॉलेज के सामने, चौबे कॉलोनी, जी.ई. रोड, जिला-रायपुर (छ.ग.)  
प्रोजेक्ट-“सुनीता पार्क फेस-1” पता-लभाण्डी, जिला-रायपुर (छ.ग.)

| आदेश कार्यवाही की<br>तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि<br>के हस्ताक्षर |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 22/07/2026                         | <p>– प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>– प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16.01.2026 को अनावेदक के विरुद्ध रुपये 10 लाख की अधिरोपित की गई थी, जिसे अनावेदक द्वारा ऑनलाईन चालान के माध्यम से दिनांक 13.06.2026 को निर्धारित शासकीय मद में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>– प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही / –<br/>(धनंजय देवांगन)<br/>सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही / –<br/>(संजय शुक्ला)<br/>अध्यक्ष</p> |                                        |